



पेसा अधिनियम

प्रलिस के लयः

पेसा अधनलरडड, 73वॉ संवधलन संशुधन, लघु वनुतुडड

डेनुस के लयः

पेसा अधनलरडड की वशषतलएँ एवं इससे जुड़ी सडसुडलएँ

करुडल डें कुडुडु?

हलल ही डें छतुतुसगदु सरकर ने **डुंडलडत उडडडुध (अनुसुऑतल कुषेतुरुडु तलक वसलतलर) अधनलरडड (डेसल), 1996** के तहत डसुुदल नलरडड तैडलर कुडुडु हैं, इसे छतुतुसगदु डुंडलडत डुरलवधलन (अनुसुऑतल कल वसलतलर) नलरडड, 2021 करलर दलडल है ।

- छतुतुसगदु डें **आदवलसुी कुऑ सडड से डेसल नलरडड** ललगु करुने की डलंग कर रहे हैं कुडुडुडुकल इससे उनुहें अडुने संसलधनुडु डुर अधकल अधकलर डलललगल ।
- वधलडक डें शकुतुलके अवडुलडन और गुरलड सुतर डुर गुरलड सडडलडुडु कुडुडु डुरलकललडुनल की गई है ।
- छह रलकुडुडु (हडलडलकल डुरदेश, आंधुर डुरदेश, तेलंगलनल, रलकुसुथलन, गुडुरलतु, डुडलरलषुदुर) ने डेसल कलनुन डुनलएँ हैं और डदुडुडु नलरडड ललगु हुते हैं तु छतुतुसगदु इनुहें ललगु करुने वललल सलतलवु रलकुडु डुन ललएणल ।

डुरडुख डदुडु

- **डेसल अधनलरडड 1996 के डलरे डें:**
 - **डुरुषुतडुडुडुडु:** गुरलडुडु डुरलरत डें सुथलनुडुडु सुवशसलन कुडु डदुवल देने के लडुडु 1992 डें **73वुडु संवधलन संशुधन** डुरलरतल कुडुडु गडुडु थल ।
 - इस संशुधन दुवलरल तुलरसुतलरुडुडु डुंडलडतुी रलकु संसुथल के लडुडु कलनुन डुनलडल गडुडु ।
 - हललुडुडुकल अनुऑऑेद 243 (M) के तहत अनुसुऑतल और आदवलसुी कुषेतुरुडु डें डुडु डुरतडुडुधतल थल ।
 - वरुष **1995 डें डुरुडुडु सडडतलल की सडुडलरशुडुडु के डलदु** डुरलरत के अनुसुऑतल कुषेतुरुडु डें रहने वलले लुगुडुडु हेतु आदवलसुी सुवशसलन सुनशुऑतल करुने के लडुडु डेसल अधनलरडड 1996 असततलवु डें आडुडु ।
 - **रलकुडु सरकर की डुडुडुडुडु:** डेसल, अनुसुऑतल कुषेतुरुडु डें रहने वलले लुगुडुडु के लडुडु गुरलड सडडलडुडु (गुरलड वधलनसडडलडुडु) के डलधुडुडु से सुवशसलन सुनशुऑतल करुने हेतु कुडुडुडु दुवलरल अधनलरडडतल कुडुडु गडुडु थल ।
 - रलकुडु सरकरलुडु कुडु अडुने संडुडुधतल डुंडलडत रलकु अधनलरडडुडु डें संशुधन करुने की आवशुडुडुडुडु थल कुडु कलडेसल के कुनलदेश के सलथ असंगत हुगुल ।
 - **उदुदेशुडुडु:** डुडु कलनुनुी रूडु से आदवलसुी सडुडुदलडुडु, अनुसुऑतल कुषेतुरुडु के नवलसलडुडुडु के अधकलर कुडु सुवशसलन की अडुनी डुरणललरडुडुडु के डलधुडुडु से सुवडुडु कुडु शलसतल करुने के अधकलर कुडु डलनुडुडु देतल है ।
 - डुडु डुरलकुतुकल संसलधनुडु डुर उनके डुरलरडुडुडु अधकलरुडुडु कुडु सुवुीकरल करतल है ।
- **डेसल अधनलरडड डें गुरलड सडडल कल डुडुडुडुडु:**
 - **लुकतलतुलरुकल वकुडुडुडुडुडुडुडुडु:** डेसल गुरलड सडडलडुडु कुडु वकुडुडु डुडुनलडुडुडु की डुडुडुडु देने और सडडुी सलडलकुडु कुषेतुरुडु कुडु नलरडुडुडुडु करुने डें डुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडु नडुडुडुडु कल अधकलर देतल है । इस डुरडुडुडुडु डें नडुडुनलखलतल शलडललल है:
 - कुल, कुंगल, कुडुडुडु डुर संसलधन ।
 - **लघु वनुतुडुडुडु** ।
 - डलनुव संसलधन: डुरकरडुडुडुडु और कलरडुडुडु कुडु नुीतलरडुडुडु कुडु ललगु करुते हैं ।
 - सुथलनुडुडु डलकुलरुडुडु कल डुरडुडुडुडु ।
 - डुडुडु अलगलव कुडु रुकनल ।
 - नशुीले डुदलरथुडुडु कुडु नलरडुडुडुडु करनल ।
 - **डुडुडुडु कल संरकुषण:** गुरलड सडडलडुडु की शकुतुलरडुडु डें सलसुकुतुकल डुडुडुडुडु और डुरडुडुडु कल रखुरखलव, आदवलसलरडुडुडु कुडु डुरडुडुडुडु करुने वलली डुडुडुडुडुडु डुर नलरडुडुडुडु और एक गुवुडु के कुषेतुरुडु के डुडुडुडु डुरलकुतुकल संसलधनुडु डुर नलरडुडुडुडुडु शलडललल है ।
 - **सुधुरषुडुडु कल सडडलधलन:** इस डुरकरल डेसल अधनलरडड गुरलड सडडलडुडु कुडु डलहरी डल आंतरकल सुधुरषुडुडु के खलललडु अडुने अधकलरुडुडु और डुरवलश के

सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

- **पब्लिक वॉचडॉग:** ग्राम सभा को अपने गाँव की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की नगिरानी और नषिध करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

■ पेसा से संबंधित मुद्दे:

- **आंशिक कार्यान्वयन:** राज्य सरकारों को इस राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिये राज्य कानूनों को अधिनियमित करना चाहिये।
 - इसके परिणामस्वरूप पेसा आंशिक रूप से कार्यान्वित हुआ है।
 - आंशिक कार्यान्वयन ने आदिवासी क्षेत्रों, जैसे- झारखंड में स्वशासन को विकृत कर दिया है।
- **प्रशासनिक बाधाएँ:** कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पेसा स्पष्टता की कमी, कानूनी दुर्बलता, नौकरशाही उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता के पदानुक्रम में परविरतन के प्रतिरोध आदिके कारण सफल नहीं हुआ।
- **वास्तविकता के स्थान पर कागज़ी अनुसरण:** राज्य भर में किये गए सोशल ऑडिट में यह भी बताया गया है कि वास्तव में विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागज़ पर अनुमोदित किया जा रहा था, वास्तव में चर्चा और नर्णय लेने के लिये कोई बैठक नहीं हुई थी।

भारत की जनजातीय नीति:

- भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारतीय संविधान का **भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र** में नहित **अनुच्छेद 244** (अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन) द्वारा इन्हें आत्मनर्णय के अधिकार (Right to Self-determination) की गारंटी दी गई है।
 - संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नर्णय तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किये गए हैं।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में वस्तितार) अधिनियम 1996 या पेसा अधिनियम।
- जनजातीय पंचशील नीति।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन में रहने वाले समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है।

आगे की राह

- यदि पेसा अधिनियम को अक्षरशः लागू किया जाता है, तो यह आदिवासी क्षेत्र में मरणासन्न स्वशासन प्रणाली को फरि से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
- यह पारंपरिक शासन प्रणाली में खामियों को दूर करने और इसे अधिकि लागि-समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाने का अवसर भी देगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस